Starred Assembly Question No. 1106
Providing Mustard Oil to BPL Families

***1106. Smt. Kiran Choudhry, M.L.A.: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-**

a) whether it is a fact that the Government is not providing/giving Mustard Oil to the BPL families in the State through Public Distribution System;

b) the year wise comparative statement of mustard procured by the Government through State Agencies during the last three years;

c) whether any alternative plan has been made by the Government to meet the shortage of the mustard oil for supply to the BPL families in State?

Answer:- Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana

a) Yes Sir.

b) The year wise comparative statement of mustard procured by the Government through State Agencies during the last three years is as under:-

Year	**Procurement (in LMT)**	**Minimum Support Price (MSP) Rs./quintal**
2019-20	6.15	4200/-
2020-21	7.49	4425/-
2021-22	Nil	NA

c) Due to shortage of the mustard oil for supply with the State Procuring Agency HAFED, the State Government has decided to provide Rs. 250/- per BPL family per month as Direct Benefit Transfer (DBT) in lieu of mustard oil, from June, 2021 onwards.

तारांकित प्रश्न संख्या 1106
बी.पी.एल. परिवारों को सरसों का तेल उपलब्ध करवाना

' 1106ण **श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए.:– क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएगें कि:–**

(क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में सरकार बी.पी.एल. परिवारों को जन वितरण प्रणाली द्वारा सरसों का तेल उपलब्ध नहीं करा रही है / नहीं दे रही है;

(ख) गत् 3 वर्षो के दौरान राज्य की एजेंसियों के माध्यम से सरकार द्वारा खरीद की गई सरसों का वर्षवार तुलनात्मक विवरण क्या है; तथा

(ग) क्या राज्य में बी.पी.एल. परिवारों को सरसों के तेल की आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक योजना बनाई गई है?

उत्तरः– **दुष्यन्त चौटाला, उप मुख्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा**

(क) जी हां श्रीमान्।

(ख) गत् 3 वर्षो के दौरान राज्य की एजेंसियों के माध्यम से सरकार द्वारा खरीद की गई सरसों का वर्षवार तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से है:–

वर्ष	खरीद (लाख एम.टी. में)	न्यूनतम सर्मथन मूल्य (एम.एस.पी.) रूप्ये / क्विंटल
2019–20	6.15	4200 / –
2020–21	7.49	4425 / –
2021–22	शून्य	एन.ए.

(ग) राज्य की खरीद एजेंसी हैफेड के पास सरसों के तेल की कमी होने के कारण, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जून, 2021 से बी.पी.एल. परिवारों को 250 / –रूपये प्रति परिवार प्रति मास सरसों तेल के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।

––––––